भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1141
उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

एनटीए और यूजीसी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन

†1141. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण (एनटीए) के पास पेपर सेट करने वालों, मॉडरेटरों, गोपनीयता अधिकारियों, मुख्य परीक्षकों, परीक्षकों की नियुक्ति को शासित करने वाले नियम/विनियम/ उप-नियम हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एनटीए ने वर्ष 2017-24 की अवधि के लिए सीयूईटी-यूजी और सीयूईटी-पीजी के संचालन हेतु यूजीसी के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने सूचित किया है कि परीक्षाओं की प्रामाणिकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेपर सेट करने वालों, मॉडरेटरों और गोपनीय अधिकारियों को निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार गोपनीयता, मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन आदि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियोजित किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसरण में छात्रों, विश्वविद्यालयों और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर भार को कम करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु पहली बार सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) आयोजित की गई थी। सीयूईटी (यूजी) को अवर स्नातक पाठ्यक्रमों और सीयूईटी (पीजी) को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित किया जाता है, जिससे देश भर के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) या अन्य प्रतिभागी संस्थानों (राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों सहित) में प्रवेश चाहने वाले इच्छुक छात्रों को एक ही परीक्षा के माध्यम से प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाता है।

*****